9/9/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उप./प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित काराजी खसरा नम्बर 1080, 1082, 1083, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186 वाके ग्राम ऊंच में मदाखलत व मजाहमत न करने बाबत एवं कोई अतिक्रमण न करने बाबत दावे के निस्तारण प्रार्थना-पत्र 212 RTA के तहत स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	... जज
	निर्णय प्रबन्ध से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय

प्रकरण ...
जी.सी ...
किस...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 53/2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00151
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 09.09.2024

1. दामोदर पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई (भरतपुर)
2. सतीश पुत्र भागमल जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई (भरतपुर)
3. शिवचरनलाल पुत्र गिर्राज जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. तेजीराम पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई (भरतपुर)
2. सुरेश पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई (भरतपुर)
3. मुरारी पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई (भरतपुर)
4. महेश पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई (भरतपुर)
5. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री रामकिशन गुर्जर एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री अशोक कुमार एड.(अप्रार्थी की ओर से)

:: निर्णय:: प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत् पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है–

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी हाल जमाबंदी संबत 2075 से 2078 के खाता सं. 169 के खसरा न. 1080 रकवा 0.13, 1082 रकवा 0.12, 1083 रकवा 0.04, 1181 रकवा 0.24, 1182 रकवा 0.08, 1183 रकवा 0.19, 1184 रकवा 0.05, 1185 रकवा 0.04, 1186 रकवा 0.18 किता 9 कुल रकवा 1.07 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में स्थित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.16 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3. यह कि उक्त विवादित मद सं. 2 आराजी प्रार्थीगण एवं तर. प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर प्रार्थीगण एवं तर. प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं, उक्त विवादित आराजी के सहारे प्रतिवादी नं. तेजीराम का खसरा न. 1235 रकवा 0.51 सटैमा लगता है, लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 आज तक उक्त खसरा न. पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीगण से रंजिश बतौर परेशान करने की नीयत से प्रार्थीगणा के न्यारानूर खसरा न. की डौर मेंढ तोडकर बिना प्रार्थीगण के खसरा न. की पैमाईश कराये सीमाज्ञान कराने पर उतारू है, व राजस्व कर्मचारीयों से साज कर डौर मेंढ तोडने पर आमादा है, तथा वादीगण के खसरा न. पर जबरन लट्ठ के बल पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के रकवे को हडपना चाहता है, तथा कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा करना चाहते हैं, जबकि उक्त आराजी प्रार्थीगण की न्यारानूर आराजी है, जिसकी प्रार्थीगण पैमाईश कराकर सीमाज्ञान कराने पाने की अधिकार है।

4. यह कि दिनांक 22.07.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा मुकाम ग्राम ऊँच तहसील नदबई पर प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी है कि वो प्रार्थीगण के न्यारानूर आराजी की डौर मेंढ तोडकर नवीन पैमाईश करा कर बिना सीमाज्ञान को हडप कर रहेंगे तथा कब्जे काश्त में दखल पैदा करेंगे व अवैद्य अतिक्रमण कर डौर मेंढ तोडकर अपने रकवे में मिलाकर रहेंगे। अगर अप्रार्थीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

5. अन्त में प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी मद सं. 2 में मजामहत मदाखलत नहीं करें, व अतिक्रमण नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगणों की तरफ से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुये, जिनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस प्रकार है–

1–यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 आंशिक स्वीकार है। जिसमें वादपत्र का न्यायालय श्रीमान में पेश होना तो स्वीकार है लेकिन कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है।

2–यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 रिकॉर्ड से संबंधित है जो कि काबिल गौर अदालत हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

9/9/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3—यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में वर्णित तेजीराम का खसरा न. 1235 रकवा 0.51 है. सटैमा लगता स्वीकार है व किया गया कथन स्वीकार नहीं है, शेष उजरात मजीद में है।

4—यह कि मद सं. 4 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है, गैरसायल अपने न्यारानूर खातेदारी के खसरा न. 1235 रकवा 0.51 है. की पैमाईश कराने को आरटीए के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकारों की अनुपालना में पैमाईश कराने को स्वतंत्र है उसे अपनी आराजी खसरा न. 1235 की पैमाईश कराने से सायलान किसी भी स्थिति में रोक नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण काबिल खारिजी के है।

5—यह कि मद सं. 5 जिस प्रकार वर्णित की है स्वीकार नहीं है, गैर सायल 1 लगायत 4 ने सायलान व तर. प्रतिवादीगण को दिनांक 22.07.2020 या अन्य किसी तिथी को कोई धमकी नहीं दी है।

6—यह कि मद सं. 6 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.04.2024 या अन्य किसी तिथि में कोई धमकी नहीं दी है, सभी तथ्यों को प्रार्थीगण द्वारा महज दावा व प्रार्थना पत्र को रंगत देने की गरज से झूठा लिखाया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

7—यह कि मद सं. 7 स्वीकार नही है, प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में नहीं कर अप्रार्थीगण के हक में है।

8—उजरात मजीद— यह कि गेरसायलान न्यारानूर खातेदारी कांश्तकारी की आराजीयात खसरा न. 1235 रकवा 0.51 हे. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में स्थिति है जिसे गैरसायल सं. 1 तेजीराम द्वारा तत्कालीन खातेदार सनत कुमार जैन पुत्र श्री कुशल चन्द जैन निवासी कस्बा रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर जरिये मुख्त्यारनामा खास मालिक जमाबंदी श्री कुशलचंन्द जैन पुत्र मोतीलाल जैन जाति महाजन निवासी भरतपुर हाल निवासी जैन मुहल्ला तहसील रामगढ जिला अलवर से जरिये रजि. वयनामा कीमतन 5 लाख 29 हजार 600 रूपये में दिनांक 10.05.2019 को सब रजिस्ट्रार नदबई के समक्ष उपस्थित होकर विधि अनुसार तहरीर व तस्दीक कराया है, वक्त वयनामा से ही गैर सायल सं. 1 तेजीराम गैरसायल सं. 2 लगायत 4 की सहायता से उपरोक्त आराजीयात पर काश्त करता चला आ रहा है।

9—यह कि सायलान के चिपटैमा गेरसायल सं. 1 की न्यारानूर का खसरा न. 1235 लगा होने के कारण सायलान गैरसायल सं. 1 की खसरा न. 1235 पर जबरन कब्जा करने के उद्धेश्य से बार—बार डौर मेंढ तोडकर मौके पर झगड़ा फसादा करना प्रारम्भ कर दिया तो गैरसायल सं. 1 ने तंग आकर गैरसायल सं. 1 ने दिनांक 18.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार नदबई को पेश किया जिसकी पालना में दिनांक 26.06.2020 को जब खसरा न. 1235 की पैमाईश करने पैमाईश टीम मौके पर पहुंची तो सायलान ने अन्य सामाजिक तत्वों से मिलकर पैमाईश टीम से झगडा कर ... पैमाईश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

टीम को पैमाईश नहीं करने दी उसके बाद पुनः दिनांक 22.07.2020 को पैमाईश टीम मय पुलिस जाब्ता इंचाज श्री सत्यपाल जी की मौजूदगी में मौके पर पैमाईश टीम द्वारा पैमाईश करवाई गई व निशानात कायम किये गये, किन्तु उक्त टीम के आने के बाद वो निशानात सायलान द्वारा गिरा दिये गये।

1. यह कि दिनांक 04.10.2020 को एक एफआईआर गैरसायल सं. 1 ने कोतवाल साहब को दी एवं दिनांक 06.10.2020 को एक परिवाद गैरसायल सं. 1 ने दिनांक 22.07.2020 की पैमाईश पालना में पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसकी पालना तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 09.10.2020 को एलआर/20/3175–76 में थाना नदबई थानाधिकारी महोदय को भू. अ. नदबई को वृत्त कटारा एवं ऊचपटवारी को निशानात करयम कर पत्थरगढी कर प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतु आदेशित किया तथा सायलान व उनके सहयोगियों को डौर मेंढ काटकर जो रकवा कब्जे में लिया उसको पाबंदी में लिया गया व डौर मेंढ को कब्जे में लिया गया। सायलान द्वारा इन समस्त पैमाईश व पत्थर गढी की कार्यवाही को व डौर मेंढ को कब्जे में लियाा गया रकवा न छोडना पडे की कार्यवाही को रोकने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में सही तथ्यों को छिपाकर कूटरचित वदयांति पूर्वक न्यायालय को गुमराह कर गैरसायल सं. 1 की खातेदारी पर कब्जा करने के उद्धेश्य से पेश किया गया है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के हैं।

हमने उभयपक्षकारान के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. **पृथमदृष्टया केस** :– प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र अन्तर्गत धारा [redacted], 188 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का पेश किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 169 के खसरा न. 1080 रकवा 0.13, 1082 रकवा 0.12, 1083 रकवा 0.04, 1181 रकवा 0.24, 1182 रकवा 0.08, 1183 रकवा 0.19, 1184 रकवा 0.05, 1185 रकवा 0.04, 1186 रकवा 0.18 किता 9 कुल रकवा 1.07 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में स्थित है विवादित मद सं. 2 आराजी प्रार्थीगण की रिकॉर्डेड खातेदारी सरकार की आराजीयात है । उक्त विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का कोई प्रकार का कोई संबध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी के सहारे वादी सं. 1 तेजीराम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा न. 1235 रकवा 0.51 सटैमा लगता है। प्रार्थीगण को रंजिश वतौर परेशान करने की नीयत से प्रार्थीगण के न्यारानूर खसरा नम्बर की डौर मेंढ तोडने पर आमादा है। तथा वादीगण के खरारा नम्बर पर जबरन लट्ठ के बल पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के रकवे को हडपना चाहता है। तथा कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा करना चाहते हैं, जबकि उक्त आराजी प्रार्थीगण की न्यारानूर आराजी है। प्रार्थीगण की आराजीयात वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने हेतु वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पावंद किया जाना उचित है। अतः प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के हक में बखूबी साबित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :– प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में वखूबी साबित है।
3. **अपूर्णीय क्षति** :– चूंकि अभी विवादित आराजी हाल जमाबंदी संबत 2075 से 2078 के खाता सं. 169 के खसरा न. 1080 रकवा 0.13, 1082 रकवा 0.12, 1083 रकवा 0.04, 1181 रकवा 0.24, 1182 रकवा 0.08, 1183 रकवा 0.19, 1184 रकवा 0.05, 1185 रकवा 0.04, 1186 रकवा 0.18 किता 9 कुल रकवा 1.07 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई का खूर्द बुर्द होने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जाता है तो विवादित आराजीयात का खुर्द–बुर्द होने का अंदेशा रहेगा तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। क्योंकि पृथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः आदेश है कि वर्णित विवादित आराजी हाल जमाबंदी संबत 2075 से 2078 के खाता सं. 169 के खसरा न. 1080 रकवा 0.13, 1082 रकवा 0.12, 1083 रकवा 0.04, 1181 रकवा 0.24, 1182 रकवा 0.08, 1183 रकवा 0.19, 1184 रकवा 0.05, 1185 रकवा 0.04, 1186 रकवा 0.18 किता 9 कुल रकवा 1.07 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में मदाखलत मजाहमत न करने बाबत् एवं कोई अतिक्रमण न करने बाबत् दावे के निस्तारण तक प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए के तहत् स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

09/9/24

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner